भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5075
(दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लिए)

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक

5075. श्री के. सुधाकरनः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रैंकिंग में भारत की रैंक में गिरावट के क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों के संबंध में मीडिया संगठनों और प्रेस निकायों के साथ किए गए परामर्श, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): भारत में एक जीवंत प्रेस और मीडिया इकोसिस्टम है, जिसे विदेशी संगठनों से मान्यता की आवश्यकता नहीं है।

भारत में लगभग 1,45,000 मुद्रित प्रकाशन, 900 से अधिक प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल और डिजिटल मीडिया पर कई प्रकाशक हैं जिनमें ओटीटी प्लेटफॉर्म, समाचार पत्रों की ई-प्रतिकृति, डिजिटल समाचार पत्र, समाचार वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाचार चैनल आदि शामिल हैं।

पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा:

- संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित है।
- भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत स्थापित एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। पीसीआई की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं और यह प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश, पत्रकारों पर शारीरिक आक्रमण/हमले आदि से संबंधित प्रेस के सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर अधिनिर्णय देता है।
- प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 13 के तहत, पीसीआई को प्रेस की स्वतंत्रता और उसके उच्च मानकों की सुरक्षा से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने का भी अधिकार है।
- इसी प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रेस की स्वतंत्रता केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत एक स्व-विनियामक तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।

उपर्युक्त के अलावा, हमारे पास एक मजबूत न्यायिक प्रणाली है जो संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है।

*****